न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–41/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/41)

1. शम्भूसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नान्दला तहसील नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नान्दला
2. लालसिंह पुत्र केसरसिंह (मृतक जरिए वारिसान)
   2/1 भंवर कंवर पत्नि लालसिंह
   2/2 जसपाल पुत्र लालसिंह
   2/3 बलवीरसिंह पुत्र लालसिंह
   2/4 सीमाकंवर पुत्री लालसिंह समस्त जातिगण राजपूत निवासी ग्राम नान्दला नसीराबाद
3. प्रहलादसिंह पुत्र केसरसिंह
4. प्रेमकंवर पुत्री दशरथसिंह
5. धारासिंह पुत्र दशरथसिंह
6. विजयसिंह पुत्र दशरथसिंह
7. राजकंवर पुत्री दशरथसिंह
8. लक्ष्मणसिंह पुत्र देवीसिंह
9. नारायणसिंह पुत्र नरभूसिंह समस्त जातिगण राजपूत निवासी ग्राम नान्दला नसीराबाद जिला अजमेर
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद राजस्व वाद संख्या 147/2018

उपस्थितः–

1. श्री सुखदेव चौधरी, नवीन गुर्जर अभिभाषक अपीलांट
2. श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 10
4. रेस्पोडेंट संख्या 2/2 से 2/4, 3 से 9 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–09.09.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 147/2018 में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलार्थी एवं शेष रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत

किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण को समुचित अवसर देने उपरांत भी जवाब पेश नहीं करने के कारण जवाब बंद किया गया। राजस्थान पैरोकार ने जवाब पेश नहीं करना जाहिर किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 147/2018 में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2/2 से 2/4, 3 से 9 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 का वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र डिक्री करते हुए अपीलार्थी को जवाब दावे के समुचित अवसर नहीं दिए गए है एव ना ही रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल की पालना की गयी एवं दिनांक 03.02.2023 को अपीलार्थी का बिना समुचित अवसर दिये ही जवाब दावा बंद कर दिया गया जबकि अपीलार्थी उक्त पत्रावली में अपना अभिभाषक नियुक्त करने हेतु दूरभाष पर सुचित किया। समय पर वकालतनामा प्रस्तुत नहीं होने के कारण उपरोक्त दिनांक को जवाब दावा बंद कर दिया गया। इसके कारण उपरोक्त अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानों के विपरित तथा न्याय नियम सिद्धान्त के विपरित पारित किया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त वाद में वादग्रस्त संम्पदा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। इसके उपरान्त भी आदेश मुतनाजा पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय की मंशा सुस्पष्ट होती है न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश मुतनाजा पारित किया गया जो कि काबिल निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 147/2018 में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि ग्राम नान्दला के खाता संख्या 499 के खसरा नम्बर 407 रकबा 0.06 खाता संख्या 501 के खसरा नम्बर 67 रकबा 0.08, खाता संख्या 498/331 किता 17 रकबा 5.57 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की है। उक्त आराजी का राजस्व अभिलेख में विभाजन नहीं हुआ है किन्तु सुविधा की दृष्टि से पक्षकारान ने मौके पर भूमि को बांट रखा है। उभयपक्ष आराजी मुतनाजा पर अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादीगण आराजी का विभजन नहीं करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1

द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण को समुचित अवसर देने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं करने के कारण जवाब बंद किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा प्रकरण का निस्तारण दिनांक 20.11.2024 को करते हुए वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 का वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र डिक्री करते हुए अपीलार्थी को जवाब दावे के समुचित अवसर नहीं दिए गए है एवं ना ही रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल की पालना की गई है एवं दिनांक 03.02.2023 में अपीलार्थी को बिना समुचित अवसर दिए ही जवाब दावा बंद कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायहित में अवसर देने के पश्चात भी उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनका जवाब बंद किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही में किसी प्रकार की न्यायिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात ग्राम नान्दला के खाता संख्या 499 के खसरा नम्बर 407 रकबा 0.06 खाता संख्या 501 के खसरा नम्बर 67 रकबा 0.08, खाता संख्या 498/331 किता 17 रकबा 5.57 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की है। उक्त आराजी का राजस्व अभिलेख में विभाजन नहीं हुआ है। इस आधार पर रेस्पोडेंट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजीयात का बंटवारा किए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया था। अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा राज पैरोकार द्वारा भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उक्त वाद का खण्डन भी राज पैरोकार द्वारा नहीं किया गया। चूंकि उक्त विवादित आराजीयात सहखातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है। उक्त आराजीयात के विभाजन किए जाने से अपीलांट/प्रतिवादीगण के हक अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम नान्दला के खाता संख्या 501 के खसरा नम्बर 67 रकबा 0.08 खाता संख्या 498/331 किता 17 रकबा 5.57 की आराजी पर वादी/रेस्पोडेंट का वाद स्वीकार किया गया तथा खसरा नम्बर 407 रकबा 0.06 गै0मु0 चाह है जिसका विभाजन नहीं किया गया तथा शेष आराजीयात पर वादी/रेस्पोडेंट विभाजन के अधिकारी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पाए गए है। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कहे गए मौखिक कथनों को जरिए दस्तावेजात साबित कर पाने में तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किस प्रकार से त्रुटि कारित हुई है उसे न्यायालय हाजा को बताने में विफल रहे हैं। **विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गई है, चूंकि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किए जाने से रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति निरस्त की जाती है।**

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2024 में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, जिसकी पुष्टि न्यायालय हाजा द्वारा करते हुए

उक्त निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 147/2018 में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 09.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर